



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in



क्र०- छग०/बलौदाबाजार/चू०प०-50/रायपुर भाग-02 38 एमपीआर 28018 दिनांक :- 29.08.2017

प्रति,

श्री ओमप्रकाश पूरनमलका,
निदेशक एवं नॉमिनेटेड ऑनर
वास्ते - अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड,
आदित्य बिड़ला सेन्टर, एस० के० अहिरे मार्ग,
वर्ली, मुम्बई (महाराष्ट्र)- 400030

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले में स्थित आपकी रावन-जिपन चूनापत्थर खदान क्षेत्रफल 722.834 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 22.08.2017 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री मुकेश कुमार थवैट, खनन अभियंता एवं श्री प्रतीक झा, भूविज्ञानी की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
Rule 11(1)	The following deviations have been found in the mine from the approved Mining Plan vide 314(3)/2012/MCCM(CZ)/MPLN-33 Nagpur dated 14/10/2013 for the period of 2013-14 to 2017-18: Borehole: During Mining Plan period, it has been proposed to carry out 08 nos of Core Boreholes up to a cumulative depth of 400 meters; whereas, 04 nos. of DTH boreholes with a cumulative depth of 120 meters have been drilled so far. Protective Measures: There was a proposal given for construction of parapet wall/stone wall around the toe of dump, the same has not been constructed.
Rule 35	Soft copy of the high resolution satellite image obtained from CARTOSAT-2 satellite LISS-IV sensor on the scale of cadastral map, as on the 31st day of March for the Financial year 2016-17, covering the mining lease and an area of two kilometres have not been submitted.
Rule 48	Reference Chip samples of 04 nos. of DTH boreholes, drilled during plan period have not been preserved.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत
(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

कृ०पृ०प०..2.

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. श्री वी0डी0 माली, एजेंट एवं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (माईस), मेसर्स - अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, रावन-जिपन लाइमस्टोन माईन, ग्रासिम विहार रावन, तहसील- सिमगा, जिला- बलौदाबाजार, भाटापारा, रायपुर (छ.ग.).
493196

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर